न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—436/2016/223 (2016/00436)

1. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. अर्जुनसिंह पुत्र रामसिंह, जाति रावत,
2. जालमसिंह पुत्र रामसिंह, जाति रावत,
   निवासी ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. सुजानसिंह पुत्र रामसिंह, जाति रावत, नि0 आडली मगरी, ग्राम शेरों का बालाल, दांदोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. केसरसिंह पुत्र रामसिंह, जाति रावत, नि0 शेरों का बाला, दांदोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती कल्लदेवी पत्नि लक्ष्मणसिंह पुत्री रामसिंह रावत,
6. श्रीमती फेफी पत्नि नैनूसिंह पुत्री रामसिंह रावत,
   निवासी सोहनगढ़, ताल लसानी, तह0 देवगढ़, जिला राजसमंद ।
7. अमरसिंह पुत्र स्व अजबसिंह जाति रावत, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7/1— श्रीमती कमला बेवा स्व0 अमरसिंह,
   7/2— कु0 आशा पुत्री स्व0 अमरसिंह,
   7/3— कु0 गुड्डी पुत्री स्व0 अमरसिंह,
   7/4— सूरज पुत्र स्व0 अमरसिंह,
   समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. हालसिंह पुत्र अजबसिंह,
9. खेमसिंह पुत्र अजबसिंह,
10. श्रीमती पन्नी बेवा अजबसिंह (मृतक)
11. नन्दसिंह पुत्र पूनमसिंह,
12. भंवरसिंह पुत्र पूनमसिंह,
13. श्रीमती हंगामी बेवा पुत्र पूनमसिंह,
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
14. कु0 इन्द्रा पुत्री स्व0 पूनमसिंह, जाति रावत, नि0 हाल बस स्टेण्ड भीम, तहसील भीम, जिला राजसमंद ।
15. पहाड़सिंह पुत्र देवीसिंह,
16. भूरसिंह पुत्र देवीसिंह,
17. लखूसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति रावत (मृतक) जरिये वारिसानः—
    17/1— श्रीमती झमकू बेवा स्व0 लखूसिंह,
    17/2— पंचमपालसिंह पुत्र स्व0 लखूसिंह,
    17/3— लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 लखूसिंह,
    सभी नि0 ग्राम शेरों का बाला, दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
    17/4— श्रीमती सुनीता पत्नि महेन्द्रसिंह पुत्री स्व0 लखूसिंह, जाति रावत, निवासी बड़ा खेड़ा, भगवानपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
    17/5— श्रीमती आशा पत्नि नवलसिंह पुत्री स्व0 लखूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम मांडा, टॉटगढ़, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
18. श्रीमती मिठ्ठू बेवा जयसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम शेरो का बाला,

दादोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

19. श्रीमती तुलसी पत्नि हुकमसिंह पुत्री जैतसिंह रावत, नि0 ग्राम हरोदनियां, तह0 देवगढ़, जिला राजसमंद ।
20. टीलसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत,
21. मूलसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत,
22. हुकमसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत,
23. श्रीमती पार्वती बेवा स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत,
    निवासी ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
24. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि फतेहसिंह पुत्री स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत, निवासी ठीकरावास, नीमड़ी, तह0 भीम, जिला राजसमंद ।
25. श्रीमती मीना पत्नि देवेन्द्रसिंह पुत्री स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत, निवासी बड़ी का चौड़ा, टाटगढ, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
26. डूंगरसिंह पुत्र स्व0 नाथूसिंह, जाति रावत, (मृतक) जरिये वारिसानः—
    26/1— बलवीरसिंह पुत्र स्व0 डूंगरसिंह, जाति रावत,
    26/2— लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 डूंगरसिंह, जाति रावत,
    दोनां नि0 ग्राम शेरो का बाला, दांदोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
    26/3— सीता पुत्री डूंगरसिंह पत्नि भोजराजसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम नीमड़ी, छापली, तह0 देवगढ़, जिला राजसमन्द ।
    26/4— श्रीमती निर्मला पुत्री स्व0 डूंगरसिंह पत्नि अजमालसिंह, जाति रावत, नि0 मकान नं0 डी.बी. 23, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर नं0 7, गुप्तेश्वर हिरण मगरी, उदयपुर । (मृतक)
27. नारायणसिंह पुत्र नाथूसिंह,
28. श्रीमती धापू बेवा स्व0 गणपसिंह,
29. जसवन्तसिंह पुत्र ज्ञानसिंह,
30. रामकिशन पुत्र स्व0 ज्ञानसिंह,
31. श्रीमती धन्नी बेवा स्व0 रणजीतसिंह,
32. भूपेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रणजीतसिंह, नाबालिग
33. राजेन्द्रसिंह उर्फ कालूसिंह पुत्र स्व0 रणजीतसिंह, नाबालिग
    रेस्पो0 संख्या 32 व 33 नाबालिग जरिये कुदरती वली एवं माता श्रीमती धन्नी बेवा स्व0 रणजीतसिंह,
    समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम शेरों का बाला, दांदोला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
35. उप पंजीयक, ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 22.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 105/2012.

उपस्थितः—

1. श्री कुलवंतसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 33 अनपुस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 34 व 35.

निर्णय

दिनांकः— 25.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 92, 92—ए व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि मौजा दांदोला, तहसील ब्यावर में साबिक खसरा नंबर 710 हाल खसरा नंबर 2639 रकबा 1—2—00 व 2638 रकबा 1—0—0, एवं 2642/2 रकबा 0—18—00 बीघा बीडो की भूमियां स्थित चली आ रही है । उक्त भूमियों में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 33 के पूर्वजों के जीवनकाल में गत 100 सालों से भी ज्यादा समय से काबिज होकर अपनी गायों, भैसों, बैलों, बकरे—बकरियों को चराने के लिए चारागाह के रूप में तथा उपरोक्त मवेशियों को बांधने के लिये बाड़ो के रूप में काम लेते आ रहे है, तथा विवादित भूमि पर काबिज होकर वर्णित उपयोग व उपभोग में कदीमी से खुले आम शांतिपूर्वक बिना किसी रोक—टोक के आज दिन तक चला आ रहा है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 33 की खातेदारी की अन्य भूमियों व कुएं से अड़ाकर विवादित बीड़ो की भूमियां स्थित है तथा वादग्रस्त बीड़ो की भूमियों में छायादार वृक्ष इत्यादि लगाकर काफी हरा भरा बनाया है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 26 से 33 का कब्जा मुखालफाना के सिद्धांत व बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ के अनुसार एवं धारा 27 लिमिटेशन एक्ट एवं धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत भी लंबे समय से शांतिपूर्वक कब्जा व उपयोग, उपभोग में चले आने से उक्त वादग्रस्त बीड़ो की भूमियों बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 की खातेदारी को निरस्त कराने का अधिकारी है । वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 दिनांक 11.6.2012 को विवादित भूमियों से बेदखल करने आये तथा धमकी दी कि विवादित भूमियों को खुर्द—बुर्द करके रहेगें । इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमियों का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 33 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 के इंद्राज को निरस्त किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । मौजा दांदोला, तहसील ब्यावर में साबिक खसरा नंबर 710 हाल खसरा नंबर 2639 रकबा 1—2—00 व 2638 रकबा 1—0—0, एवं 2642/2 रकबा 0—18—00 बीघा बीडो की भूमियां स्थित चली आ रही है । उक्त भूमियों में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 33 के पूर्वजों के जीवनकाल में गत 100 सालों से भी ज्यादा समय से काबिज होकर अपनी गायों, भैसों, बैलों,

बकरे–बकरियों को चराने के लिए चारागाह के रूप में तथा उपरोक्त मवेशियों को बांधने के लिये बाड़ो के रूप में काम लेते आ रहे है, तथा विवादित भूमि पर काबिज होकर वर्णित उपयोग व उपभोग में कदीमी से खुले आम शांतिपूर्वक बिना किसी रोक–टोक के आज दिन तक चला आ रहा है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 33 की खातेदारी की अन्य भूमियों व कुएं से अड़ाकर विवादित बीड़ो की भूमियां स्थित है तथा वादग्रस्त बीड़ो की भूमियों में छायादार वृक्ष इत्यादि लगाकर काफी हरा भरा बनाया है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 26 से 33 का कब्जा मुखालफाना के सिद्धांत व बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ के अनुसार एवं धारा 27 लिमिटेशन एक्ट एवं धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत भी लंबे समय से शांतिपूर्वक कब्जा व उपयोग, उपभोग में चले आने से उक्त वादग्रस्त बीड़ो की भूमियों बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 की खातेदारी को निरस्त कराने का अधिकारी है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट तारागढ़ में उक्त प्रकरण का निर्णय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । मृतक प्रतिवादी संख्या 10 व 17 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र निर्णित किये बिना अधी0न्याया0 ने मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे भी निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 में वाद के सम्मन प्रतिवादीगण को सम्यक रूप से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा वादी द्वारा जो वादपत्र में अभिवचन वादग्रस्त आराजी बाबत् कथित किये गये, को विश्वसनीय नहीं मानकर विधिक भूल की है । क्योंकि यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 25 का वादग्रस्त भूमियों पर कब्जा होता तो वाद में उपस्थित होकर उक्त बाबत् ऐतराज पेश करते । अधी0न्याया0 ने वादग्रस्त भूमियों पर पीढ़ियों पुराना कब्जा दस्तावेजात के अभाव में न मानने में भारी विधिक भूल की है जबकि अधी0न्याया0 द्वारा कब्जे बाबत् पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर कब्जे की तस्दीक की जा सकती थी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट ने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है नियमों में कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । वादी/अपीलांट ने विवादित आराजियात पर 100–125 साल पुराना कब्जा काश्त होना अंकित कर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है किन्तु वादी/अपीलांट ने अपने पुराने कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । माननीय मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट वाद विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा वाद संख्या 105/2012 बउनवान विक्रयमसिंह बनाम अर्जुनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर